अनुस्मारक पत्र/समयबद्ध

संख्या- 05/13(3)/2020 /का-1-2021

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
(भाषा/श्रम/रेशम विकास/समन्वय/पशुधन/समाज कल्याण/प्रशासनिक सुधार/सतर्कता/दुग्ध विकास/कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार/ मत्स्य उत्पादन/पिछड़ा वर्ग कल्याण/महिला कल्याण/ खादी एवं ग्रामोद्योग/व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास/ दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण/ सचिवालय प्रशासन/होमगार्डस/युवा कल्याण/धर्मार्थ कार्य/चीनी उद्योग/आबकारी/राजनैतिक पेंशन/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत/पर्यटन/लोक सेवा प्रबंधन/सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम/ स्टाप एवं रजिस्ट्रेशन/प्रवासी भारतीय/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन को छोड़ते हुए)

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 24 जून, 2021

विषय:- दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2021 तक सरकारी सेवाओं से अनिवार्य सेवानिवृत्त सेवा से हटाये/सेवा से पदच्युत तथा अन्य अधिरोपित वृहद दण्ड/लघु दण्ड की संख्यावार विवरण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 04/2021/13(3)/2020 /का-1-2021, दिनांक 14.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके विभाग के अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2021 तक सरकारी सेवाओं से अनिवार्य सेवानिवृत्त सेवा से हटाये/सेवा से पदच्युत तथा अन्य अधिरोपित वृहद दण्ड/लघु दण्ड की संख्यावार सूचना दिनांक 18.06.2021 तक निर्धारित प्रारूप पर कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु उक्त वांछित संकलित सूचना अभी भी कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध नही हो पायी है ।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त के संबंध में अपने-अपने विभाग की अद्यतन सम्पूर्ण संकलित सूचना, अपने हस्ताक्षर से **निर्धारित प्रारूप पर** (क्षेत्रीय स्तर से अथवा एक ही विभाग के भिन्न-भिन्न अनुभाग के स्तर से प्राप्त सूचनायें अनुश्रवण हेतु ग्रहण/संकलित नहीं की जायेगी) कार्मिक अनुभाग-1 को **दिनांक 25.06.2021 तक** उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(शीतला प्रसाद)

विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in